पत्रांकः– के.मा.शि.बो. / क्षे.का.अज. / पंजी.शाखा / संबद्धता / 2021 दिनांकः–22.07.2021

प्राचार्य (विद्यालय कोड 11525 / 430497)
English Teaching School
B/H Railway station, R T Patel Marg, Nadiad
Gujarat, Kheda-387002

विषयः– नये संबंद्धता प्राप्त विद्यालय को स्कूल कोड का आवंटन एवं पंजीकरण करने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि सीबीएसई के पत्रांक **CBSE/AFF/SS-01040-2021/2020-21 दिनांक 14.06.2021**, जिसके तहत बोर्ड के द्वारा आपके विद्यालय को **वरिष्ठ माध्यमिक स्तर** तक की सामान्य संबंद्धता प्रदान की गयी है जिसकी अवधि ***01.04.2021*** से ***31.03.2024*** तक है। आपके विद्यालय को स्कूल कोड **11525** आवंटित किया गया है। आपके विद्यालय का उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड पूर्व में ही सीबीएसई द्वारा जारी कर दिया है। बोर्ड के द्वारा जारी पासवर्ड को तुरन्त बदला जा सकता है और भविष्य में उपयोग के लिए संरक्षित रखा जा सकता है और किसी भी दुरूपयोग से बचने के लिए गोपनीय रख सकते है। भविष्य में पत्राचार के लिए आप प्रमुखता से स्कूल कोड का उल्लेख करे।

वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए, कक्षा IX / XI के पात्र छात्रों का ऑनलाईन पंजीकरण संबंद्धता पत्र में निर्धारित शर्तों के अनुसार ही होना चाहिए, यदि उपयुक्त हो तो सीबीएसई की वेबसाईट www.cbse.nic.in पर उपलब्ध विस्तृत दिशानिर्देशों / परिपत्रों के साथ–साथ परीक्षा उपनियम को भी इस संबंध में संदर्भित किए जा सकते है।

आपको आगे निर्देशित किया जाता है कि सीबीएसई की वेबसाईट को नियमित रूप से जांचे और संबंद्धता और परीक्षा उपनियमों में निर्धारित नियमों और प्रावधानों का पालन करने के साथ–साथ बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का, कक्षा IX / XI के छात्रों के पंजीकरण / प्रवेश के संबंध में उनके निर्धारित वैध विषय संयोजन के साथ और अन्य सभी मामलों में बोर्ड के मापदंडों एवं निर्धारित समय सीमाओं का सख्ती से पालना करने के लिए निर्देशित किया जाता है, इनमें असफल होने पर यदि कोई दुष्परिणाम होता है, तो विद्यालय के प्रमुख को पूरी तरह से जिम्मेदार माना जाएगा। संस्थान के प्रमुख होने के नाते, आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्कूल शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को बोर्ड के उपनियमों और पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करें और उनका अनुसरण करे।

विद्यालय द्वारा छात्रों के सम्पूर्ण रिकार्ड को व्यवस्थित रूप से बनाए रखने के लिए विद्यालय को प्रवेश पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र और प्रवेश और निकासी रजिस्टर विकसित करना अनिवार्य है। विद्यालय डाटा फार्म के साथ निम्न प्रारूप के नमूना प्रतियां भी आपके संदर्भ के लिए संलग्न हैं। आपको सीबीएसई को छात्रों का विवरण भेजने से पहले विधिवत भरे गए विवरण / दस्तावेजों / अभिलेखों को जांचने और प्रमाणित करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

निम्नलिखित प्रारूप / परिपत्र पर अपने स्तर पर आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज रहे है :-

क्र.सं.	विवरण	विद्यालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही
1.	सेक्शनवार एवं क्लासवार छात्रों के संख्या के लिए प्रारूप।	विवरण प्रदान करे एवं यह सुनिश्चित करे कि प्रतिबंध से अधिक सेक्शन संबंद्धता शाखा की अनुमति के बिना शुरू नहीं किया जाएगा।
2.	स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, प्रवेश फॉर्म, स्कॉलर रजिस्टर	संलग्न प्रारूप / प्रोफार्मा के अनुसार स्कूल रिकार्ड व्यवस्थित रूप से रखना सुनिश्चित करें।
3.	विद्यालय डाटा फॉर्म	इस कार्यालय को रिकॉर्ड के लिए विवरण प्रदान किया जाएगा।
4.	संशोधन के लिए प्रोफोर्मा	विद्यालय रिकॉर्ड में यदि कोई सुधार / संशोधन करने के अनुरोध को इस कार्यालय में अग्रेषित किया जाये तो, संलग्न प्रोफार्मा अनिवार्य रूप से भर कर प्रस्तुत करे।
5.	सुधार / संशोधन के लिए दिशानिर्देश	बोर्ड के दिशानिर्देशों संबंद्धता / परीक्षा उपनियमों का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करे।

विद्यालय प्राधिकारियों को सूचित किया जाता है कि "**The total number of section of the school be restricted to 85 as per the number of class rooms reported during inspection and further increase shall be subject to specific approval of the board on the basis of the request of the school as per affiliation bye laws/14.06.2021**" साथ ही सलाह दी जाती है कि संबंद्धता पत्र में दर्शायी गयी विशेष शर्तो की अनुपालना, इस कार्यालय को सूचित करते हुये, संबंद्धता शाखा को प्रेषित करे।

आपसे अनुरोध किया जाता है कि किसी विशिष्ट प्रकरण के मामले में ई–मेल आई.डी. **register.cbseajm@cbseshiksha.in** & roajmer.cbse@nic.in एवं फोन नं. 0145-2634118/ 2634114 पर सम्पर्क करे।

भवदीय,

राजीव शर्मा
28/7/2021

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार

सहायक सचिव(पंजीयन शाखा)